समय पर नहीं दीं सेवाएं, 48 आइएएस व चार आइपीएस समेत 365 अफसरों से जवाब तलब

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त ने सार्वजनिक की साल 2025-26 की रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण● चंडीगढ़ : हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग (राइट टू सर्विस कमीशन) ने करीब डेढ़ साल में सात आइएएस अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष कार्रवाई की सिफारिश की है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपीलेट अथारिटी के रूप में ठीक काम नहीं किया। इसके अलावा आयोग ने 48 आइएएस और चार आइपीएस अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने का आरोपित पाया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। उन्हें नाम के साथ चेतावनी और सलाह जारी की गई है।

राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त रिटायर्ड आइएएस टीसी गुप्ता ने शुक्रवार को साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए यह जानकारी साझा की।

वार्षिक रिपोर्ट में कुल 365 अधिकारियों व कर्मचारियों को काम में लापरवाही का आरोपित पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। इनमें 24 एचसीएस और चार एचपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इनके अलावा, सीए-जेई-एसडीओ-एक्सईएन और एसई स्तर के

चंडीगढ़ में हरियाणा के सेवा का अधिकार साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करते आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, आयोग की सचिव डा. सरिता मलिक ● जागरण

205 अधिकारियों को काम में लापरवाही का दोषी पाने पर चेतावनी व एडवाइजरी जारी हुई है।

टीसी गुप्ता के मुताबिक, हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग की पूरे देश में पहचान है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस को अपनाने की पहल की है। आयोग ने 50 ऐसी सेवाओं को डी-नोटिफाई करवाया है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, बल्कि किसानों व विद्यार्थियों के हित की सेवाओं को समयबद्ध सेवाओं में जोड़ा गया है।

हरियाणा की यह प्रणाली अब राष्ट्रीय स्तर पर भी एक माडल के रूप में उभर रही है। भारत सरकार की डी-रेगुलेशन इनिशिएटिव में इसे प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

टीसी गुप्ता ने जताई लापरवाह अफसरों को चार्जशीट की जरूरत : मुख्य आयुक्त ने कहा है कि सेवा का अधिकार आयोग को प्रभावी बनाने के लिए उसकी सिफारिशों, अनुरोध और संस्तुतियों पर राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सुझाव दिया कि राज्य सरकार काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चार्जशीट भी कर सकती है। इससे अधिकारियों में समय से काम पूरा करने की संस्कृति अधिक तेजी से विकसित होगी। टीसी गुप्ता के अनुसार उनका कार्यकाल चार दिन बाद पूरा हो रहा है। इसके बाद नए मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की तुरंत नियुक्तियां होनी चाहिए, वरना इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ सकता है।

व्हाट्सएप चैटबाट और मोबाइल एप से होंगी समस्याएं हल : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने शुक्रवार को जनता की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबाट और मोबाइल एप की शुरुआत की। व्हाट्सएप और मोबाइल एप्लीकेशन एएएस (आस) के माध्यम से नागरिक अब अपील दायर करने, उसकी स्थिति जानने और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में अधिक सुविधा महसूस करेंगे।

मुख्य आयुक्त ने बताया है कि "सेवाएं आपकी अंगुलियों पर, कभी भी, कहीं भी" अवधारणा के तहत यह पहल नागरिकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करेगी। नागरिक इस चैटबाट का उपयोग व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर संदेश भेजकर कर सकते हैं।